

I/425421/2023

भाग-4

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद बिजनौर में भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मेरठ द्वारा बहसूमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग (एस०एच०-147) किमी० चैनेज 80.207 की दाँयी पटरी पर ग्राम नवादा केशो तहसील धामपुर की खसरा/गाटा संख्या-155 व 156 पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1847 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/150354/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-275/81-2-2023-800(267)/2023 दिनांक ०५ नवम्बर 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 09-11-2023 11:47:51

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

25422/2023

संख्या-पी-275/81-2-2023-800(267)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 09 नवम्बर 2023

विषय- जनपद बिजनौर में भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मेरठ द्वारा बहसूमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग (एस०एच०-147) किमी० चैनेज 80.207 की दोयी पटरी पर ग्राम नवादा केशो तहसील धामपुर की खसरा/गाटा संख्या-155 व 156 पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1847 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/150354/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1094/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/150354/2021 दिनांक 25.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बिजनौर में भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मेरठ द्वारा बहसूमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग (एस०एच०-147) किमी० चैनेज 80.207 की दोयी पटरी पर ग्राम नवादा केशो तहसील धामपुर की खसरा/गाटा संख्या-155 व 156 पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1847 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड है। अतः कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 09-11-2023 11:47:18

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।
4. प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मेरठ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।